यालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मा नं0 274 /2022 तारीख रजू :- 15-11-22

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

न आई0डी0 नम्बर 2022/686

उनवान

रनारायण पुत्र कल्याणप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी सहोदरा होटल स्टेशन रोड
ौन सिटी जिला करौली राजस्थान

—सायलान—03

बनाम

शचन्द पुत्र रघुवीरशरण जाति ब्राहम्ण निवासी काना हनुमान पाडा हिण्डौन सिटी
ा करौली राजस्थान

—गैरसायल—13

	फर्द अहकाम	
-22	आज यह प्रार्थना पत्र सायल की ओर से श्री नरेन्द्र सिंह जादौन एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील सायल को एकतरफा सुना गया। सायलान को भूमि के उपयोग उपभोग मजामहत मदाखलत नहीं करने; बेदखल नहीं करने, रहनव्यय नहीं करने, भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने, निर्माण नहीं करने हेतु गैरसयाल को जरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः गैरसायलान को जरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 7406, 7407, 7408, 7409, 7410, 7411, 7398, 7399, 7400, 7402, 7403, 7404, 7405 वाके ग्राम हिण्डौन तहसील हिण्डौन में आगामी तिथी तक निर्माण एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखें। तलबी गैरसायलान को रजिस्टर्ड तामील जारी हो। रजिस्टर्ड तलवाना आगामी तारीख पर पेश नहीं किये जाने की दशा में सुमोटो स्थगन आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा। बाद रजिस्टर्ड तलवी पत्रावली दिनांक 28.11.2022 को पेश हों। (सुरेश कुमार हरसोलिया) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली	

28/11 वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी... पधारे है। मतानुसार दिनांक 9-1-23 को पेश हों।

9/1/23 पत्रावली पेश हुई। मायलान वकील उभ। मायलान वकील ने अवगत कराया कि मायलान प्रकरण आगे चलाना नहीं चाहते हैं। मायलान प्रकरण रीजेक्ट में दाखिल कराना चाहते हैं। अतः मु.न. 274/22 अन्तरिम अस्थायी बनाम अवधेश रीजेक्ट में दाखिल किया जाता है। पत्रावली नियत कमार रिकार्ड रूम में जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pindel
Date: 2024.02.22
Reason: SelfAtte

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)